

1194



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 622759

03 DEC 2017
 15/11/17
 07/10/17

॥ जय श्री कृष्ण ॥

लेखन का संक्षिप्त विवरण -

1. भूमि का प्रकार - आवासीय
2. वर्क परामना- जिला मथुरा।
3. गौहत्या/शाम - मौज्जा मुदवापन आगरा नगर नार्कलियासिम्स सिप्लान वन कारोबारी
4. सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं०)- प्लाट
5. मापन की इकाई (इन्टेयर/कर्मिटर)- वर्गमीटर

सुभाष चन्द्र बोस



[Handwritten signature]




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 622760

(2)

6. विक्रय सम्यक्ति का शेनफल- 673.08 वर्गमीटर
7. सड़क की स्थिति (परिशिष्ट के अनुसार)- रास्ता 19 फीट चौड़ा
8. प्रतिफल की धमराणि 25,00,000/-रुपये, सरकारी रेट- 4500/-रुपये वर्गमीटर जो रेट लिस्ट में पेज नंबर 4 सेक्टर जो पर दर्ज है, मालियत- 30,30,000/-रुपये, देय

स्टाम्प- 2,12,100/- रुपये, बैंक- उच्चनिकास सिरीम, नपुरा विकास मुक्त सीमा के अन्तर


व नगरपालिका सीमा के बाहर स्थित है।

गोपाल जोशी



A 6 22761

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



(3)

विक्रता प्रथमपक्ष की संख्या (एक)

1. कृष्णमोहन गोस्वामी पुत्र श्री मदनमोहनलाल गोस्वामी निवासी- विहारपुरा, गृन्दावन, तहसील

व जिला मधुवा।

केस संख्या- AEF 86 0729 P

लक्षनान- कारोबार

[Handwritten signature]
 [Circular stamp]


[Handwritten signature]





A 622762

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



(4)

क्रेता द्वितीयपक्ष की संख्या (एक)


1. कृष्णा व्यवसाय दारा पार्टनर मुकेश साहस्रत पुत्र श्री जगदीश प्रसाद निवासी- कैलाश नगर,

राजपुर, तहसील व जिला मथुरा।

पेन नम्बर - AUT P57492R

व्यवसाय - कपड़ेबाजार

हस्ताक्षर
 श्री जगदीश प्रसाद








A 622763

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



{5}

इसके कृष्णगोपाल गोस्वामी पुत्र श्री मदनमोहनलाल गोस्वामी निवासी- विहारपुरा, वृन्दावन,
तहसील व जिला मथुरा।

.....विकेता प्रथमपक्ष

एवं कुच्चा अबलपत्र द्वारा यादवर मुकेश साख्तत पुत्र श्री जगदीश प्रसाद निवासी- कैलाश नगर,
राजपुर, तहसील व जिला मथुरा।

.....केता द्वितीयपक्ष


पक्षकारण इस लेखपत्र के हैं। जो कि एकद्विवा सादत जमीन पैमादशी पूरब- 162 फीट 9 इंच
व 17 फीट 7 इंच, पश्चिम- 171 फीट 6 इंच, उत्तर- 36 फीट व 74 फीट 9 इंच, दक्षिण-

Handwritten signature and stamp



A 622764

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



(6)

98 फीट 5 इंच क्षेत्रफल 805.02 वर्गगज बराबर 673.08 वर्गमीटर जिसकी सीमा यह है-

पूर्व- जमीन खरीदार व याकोबिहारीपुरम् कालौनी (सोहनवन कालौनी)

पश्चिम- रास्ता 19 फीट


उत्तर- जमीन विहवा

दक्षिण- जमीन विहवा

स्थित मौज्जा कुचवान बागर नीबर बाकोबिहारीपुरम् (सोहन वन कालौनी), तहसील व जिला मथुरा

जो उत्तरा नम्बर 210 में स्थित है। जिसका संलग्न नक्शे में रंग लाल दिखाया है। उक्त प्लॉट


जमीन का विहवा प्रथमपक्ष मालिक है। उक्त प्लॉट जमीन प्रथमपक्ष के कब्जा मालिकाना में है।






A 622765

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



(7)


तथा प्रथमपक्ष का ही नाम दर्ज कागजात सरकारी है। प्लेट उपरोक्त हर प्रकार के अगड़े-संझट, कर्जें आदि से پاک साफ है। न कोई बाद विवाद है न कोई गार है और न किसी की जमानत में है, गरजे की मिलकीयत पाक साफ, प्रथमपक्ष विक्रेता है। सिवाय विक्रेता प्रथमपक्ष के उक्त प्लेट जमीन का अन्य कोई मालिक व हकदार व हिस्सेदार नहीं है। न किसी भी जगह रहन व गिरवी आदि है। न उक्त प्लेट जमीन किसी सरकारी संस्था का बैंक खाति में बंधक है। व किसी स्थिती में नीलाम या कुर्ब है। न की.सिक्रेता प्रथमपक्ष ने उक्त प्लेट जमीन को बेचने का इच्छारणामा किसी के साथ तय कर रखा है। न कोई ऐसा व्यक्ति अथवा वस्तु है जो प्रथमपक्ष के हस्तांतरण आदि करने में किसी प्रकार की कोई बाधा या रुकावट पैदा कर सके। यानि उक्त प्लेट जमीन हर प्रकार

कृष्णा जोषा (अध्याक्षिका)



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 622765



(8)

के झगड़े-झंडट कर्जे आदि से पाक साफ तन्हा प्रथमपक्ष की सम्पत्ति है। तथा प्रथमपक्ष को उपरोक्त प्लाट के विषय में सम्पूर्ण अधिकार मालिकाना व काबिजाना व हस्तान्तरण आदि हर प्रकार के प्राप्त हैं। अब वास्ते खर्च खुद विक्रेता प्रथमपक्ष को अपना उक्त प्लाट जमीन बेचना आवश्यक है। और इस समय द्वितीयपक्ष उक्त प्लाट जमीन को अच्छी कीमत देकर क्रय करने को तैयार है। इस कीमत में बेच देने में विक्रेता प्रथमपक्ष का सरासर लाभ है। चुनांचि उक्त प्लाट जमीन

कृष्ण गोपाल जैराम





R 91 5358

उत्तर प्रदेश-UTTAR PRADESH

114 2535 110
 2 DEC 2010
 110

(9)

को समस्त अधिकारों सहित जो विवेका प्रथमपक्ष को प्राप्त है अथवा नविष्य में प्राप्त हों यानि कुल

को शेषा छोड़े किसी एक व विवेका व उल्लेखों के अथवा समस्त-अधिकारों सहित अथवा

परतजी अपने परपत्र 25,00,000/- पच्चीस लाख रूपये जिनके आये 12,50,000/-

सुप्रीम कोर्ट लि. 27/12/10

Handwritten signature and circular stamp.

Black circular stamp.



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

R 915359

(10)

2 DEC 2010

बारह लाख पचास हजार रुपये होते हैं। बदस्त कृष्णा डवलपर्स द्वारा पार्टनर मुकेश सारस्वत पुत्र

श्री जगदीश प्रसाद निवासी- कैलाश नगर, राजपुर, तहसील व जिला मथुरा क्रेता द्वितीयपक्ष को

बेच दिया और कर्तई वै कर दिया और कीमत के कुल रूपयों में से 21,00,000/-रुपये

बजरिये चारकिता बैंक प्रथम नम्बरी 500027 दिनांक 10.12.2010 व द्वितीय बैंक नम्बरी

~~500028 दिनांक 20.04.2011 व तृतीय बैंक नम्बरी 500029 दिनांक~~

10.06.2011 प्रत्येक तादाती 5,00,000/-रुपये व चतुर्थ बैंक नम्बरी 500030 दिनांक

12.06.2011 तादाती 6,00,000/-रुपये सगी बैंक आफ बड़ौदा वृन्दावन शाखा व

कृष्णा डवलपर्स (प्रा.) प्रा. लि. गोरखपुर

(Signature)





N 739467

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

100
RESIDUAL
- 2 DEC 2019
100

{11}

4,00,000/-रुपये नकद वक्त रजिस्ट्री बैनामा प्राप्त करके कब्जा व दखल बेचे गये प्लाट जमीन पर खरीदार फर्म का दाकई अपने समान पूरा मालिकाना करा दिया और खरीदार फर्म उक्त प्लाट जमीन की पूरी मालिक हो गयी। अब वह समस्त अधिकार मालिकाना व हस्तान्तरण आदि प्रयोग में लावे व निर्माण आदि करें व स्वयं जो चाहें सो करे। अब विक्रेता प्रथमपक्ष व उसके वारिसों का उक्त बेचे गये प्लाट जमीन में कूट भी तथा व हिस्सा व समस्त किसी प्रकार का क़ुछ भी दावा नहीं रहा और न आयन्दा नविष्य में होगा, अगर कभी कोई व्यक्ति उक्त बेचे गये प्लाट जमीन के सम्बन्ध में किसी प्रकार का दावा या झगड़ा उत्पन्न करे और उसके कारण विक्रय प्लाट जमीन का

 *मो. जालपुरवादी*

 *[Signature]*



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

N 739468

- 2 DEC 2018

(12)

जुज या कुल माग कब्जा खरीदार से निकल जावे या खरीदार को कुछ खर्च करना पड़े या कहीं रहन खादि निकले तो विक्रेता प्रथमपक्ष की हर प्रकार की पूरी जिम्मेदारी होगी। खरीदार अपनी कीमत का दिया गया रूपया मय हर्जा-खर्चा व लागत व अदा व खर्च किये गये रूपयों को विक्रेता प्रथमपक्ष व उसकी हर प्रकार की ब्रल-धनन सम्पत्ति से वाजिबता बजरिये अदावत मय सुद के

कृष्णा गोपाल गोस्वामी

[Signature]



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Y 146966

{13}

वसूल कर ले इसमें विक्रेता प्रथमपक्ष व वारिसान विक्रेता प्रथमपक्ष को किसी भी प्रकार का कुछ भी उज न होगा। बेचे गये प्लाट जमीन पर कोई टैक्स नहीं है। बेचा गया प्लाट खाली है। तथा कोई तामीरात नहीं है। अतः यह बेनामा अपनी राजी व खुशी से दोनों पक्षों ने पढ़कर व सुनकर व समझकर लिख दिया है कि सनद रहे और समय पर काम आवे। उक्त प्रलेख दोनों पक्षों के निवेदनानुसार गवाहों के समक्ष पढ़ाकर व सुनाकर ड्रॉफ्ट व टाहप किया गया है। तथा गवाहों व खरीदार की शिनाख्त के आधार पर फोटो प्रमाणित किये गये हैं। तथा क्रेता-विक्रेता द्वारा

कृष्णा जयलक्ष्मी





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Y 146967

{14}

उपलब्ध कराया गया प्लेट का फोटो इस प्रलेख पर चस्पा किया गया है। तथा प्रधानपक्ष व द्वितीयपक्ष के पहचान पत्र प्रलेख के साथ संलग्न है।

गोबिन्द प्रसाद शर्मा

दिनांक - 10.12.2010 ई०

कम्प्यूटराइज्ड किया- आर०के०

इसपट किया- गोबिन्द प्रसाद शर्मा एडवोकेट, मथुरा।

साक्षी सुनील कुमार जोषी
श्री ७७७ जोषी जोषी
जि विहापुर् ६३५०

आपकी सुधार विहं श्री देवी सि
जि अंत न न न - १५१०

सुनील जोषी

साक्षी सुनील कुमार जोषी
श्री ७७७ जोषी जोषी
जि विहापुर् ६३५०